

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चि.अ./एन-1143/2024/ दिनांक :

आदेश

डॉ०नेहा चौधरी, चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजिस्ट) राजकीय डी.बी.चिकित्सालय चूरु का निदेशक मेडिकल गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली के आदेश दिनांक 13.02.2024 द्वारा चयन सीनीयर रेजीडेन्ट में हो जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसार निदेशक मेडिकल गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में कार्यग्रहण करने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन कार्यमुक्त करते हुए दिनांक 26.02.2024 से दिनांक 25.02.2025 का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
2. सीनीयर रेजीडेन्ट की अवधि अधिकतम एक वर्ष की रहेगी।
3. चिकित्सक द्वारा सीनीयर रेजीडेन्ट बीच में छोड़ देने पर पुनः सीनीयर रेजीडेन्ट हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।
4. असाधारण अवकाश की अवधि पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रयोजनार्थ गणनीय नहीं होगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./एन-1143/2024/102

दिनांक : 20/2/24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन बीकानेर।
3. अधीक्षक, राजकीय डी.बी.सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग चूरु।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी अनुभाग।
5. डॉ०नेहा चौधरी, चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजिस्ट) द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5722861

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर
Doc: राजस्थान जयपुर RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :20-02-2024 06:38:48